न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर.ए.एस)

अपील संख्या : 2022/259

किशन वल्द रामधन जाति धाकड निवासी ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज.)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर आत्मज श्री केसरा जाति धाकड़ निवासी ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज.) हाल निवास डोकुन तहसील नैनवां जिला बून्दी
2. मन्दौर पूत्री श्री केसरा पत्नी राधेश्याम निवासी ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज.) हाल निवास ग्राम पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
3. शिमला पुत्री केसरा जाति धाकड़ निवासी ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज.) हाल निवास हनुमानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
4. विमला पुत्री केसरा जाति धाकड़ पत्नी धनराज निवासी ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज.) हाल निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
5. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब तहसील नैनवां जिला बून्दी
6. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय जिला बून्दी राज0

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 से 04 की ओर से।
3. पैरोकार सरकार, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 05 व 06 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 26.06.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 113/2017 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2022 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम समिधि तहसील नैनवां जिला बून्दी

की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता सं0 49 नया व 55 पूराना के अनुसार कृषि भूमि खसरा सं0 205 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 208 रकबा 09 बिस्वा, खसरा सं0 210 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं0 213 रकबा 14 बिस्वा, खसरा सं0 215 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 223 रकबा 19 बिस्वा, खसरा सं0 226 रकबा 04 बिस्वा, खसरा सं0 227 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 327 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 331 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 358 रकबा 25 बीघा, खसरा सं0 621 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 874 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 64 बीघा 18 बिस्वा स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 02 में मिलान क्षैत्रफल संवत् 2028 से 2047 के अनुसार ग्राम समिधि तहसील नैनवां के अनुसार नये पूराने नम्बर अंकित किये गये है। वादीगण व प्रतिवादीगण की जमीने ग्राम डोकून में स्थित है जिनमें भी नाम रामधन, केशरा पि0 शोनारायण ही इन्द्राज है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार चरण सं0 01 व 02 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी अपीलांट की पूश्तैनी भूमि है जिसके मूल खातेदार गिरधारी वल्द भैरू जाति धाकड़ निवासी ग्राम समिधि थे जिनके एक पुत्र सोनारायण उत्पन्न हुआ, गिरधारी व सोनारायण दोनो का देहावसान हो गया है। सोनारायण के अपीलांट प्रत्यार्थी सं0 01 किशन उर्फ रामकिशन के पिता रामधन व प्रार्थीगण के पिता केसरा उत्पन्न हुए। केसरा व रामधन का भी देहावसान हो चुका है। केसरा के एकमात्र वारिस प्रार्थीगण ही जीवित है व रामधन के एकमात्र वारिस किशन ही जीवित है। रामधन की पत्नी बरजी बाई का भी देहावसान हो चुका है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 01 व 02 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 व अपीलांट प्रत्यार्थी सं0 01 का हिस्सा 1/2 है। इसी रूप से कृषि भूमि पर सम्मिलित खातेदार कृषक के रूप में काबिज चले आ रहे है। अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 के दादा जी सोनारायण की पहले ही मृत्यु हो गयी थी। अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 के पिता रामधन ने गुप चुप रूप से अवैध व अनाधिकृत रूप से सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर अपने आपको रामधन आत्मज सोनारायण के बजाय रामधन पुत्र गिरधारी बताकर व प्रार्थीगण के पिता के केसरा के सोनारायण के पुत्र व गिरधारी के पोत्र होने का तथ्य छुपाकर केवल रामधन वल्द गिरधारी के नाम से इन्तकाल खुलवा लिया है जो प्रविष्ठि अवैध व अनाधिकृत है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 के पिता रामधन गिरधारी के पुत्र नही होकर सोनारायण के पुत्र थे। अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 के मन में बदयान्ति आ गयी, अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 गत सप्ताह से अवैध व अनाधिकृत रूप से अपने नाम के अवैध प्रविष्ठि होने का फायदा उठाकर बल पूर्वक प्रार्थीगण को सम्पर्ण भूमि से बेदखल कर स्वयं सम्पूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहता है, भूमि को नष्ट भ्रष्ट करने, कृषि भूमि का बैचान व रहन व अन्य प्रकार से अन्तरण करने की गंभीर धमकियां दे रहा है तथा विभाजन से भी इन्कार कर रहा है। अन्त मे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति स्वयं के पक्ष मे होना बताते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 बलपूर्वक प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे, कृषि

भूमि नष्ट–भ्रष्ट नहीं करे एवं कृषि भूमि का बैचान रहन या अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करें एवं अन्य किसी भी से प्रार्थीगण के हक एवं आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 04.10.2022 को विवादित आराजी के ताफैसला वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण अपीलांट को पाबंद करने का निर्णय पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, विधि एवम संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य व वर्तमान मौका स्थिति के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट के खातेदारी की आराजी है अपीलाट के पूर्व उक्त आराजी अपीलाण्ट के दादा व पिता की खातेदारी में दर्ज रही, उसके बाद अपीलाण्ट को उक्त आराजी पैतृक आराजी के रूप में प्राप्त हुई है, जो कि अपीलाण्ट की पुश्तेनी आराजी है, जिस पर अपीलाण्ट आज तक बतौर कृषक काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में भी अपीलाण्ट ने ही उक्त विवादित सम्पूर्ण कृषि आराजी पर फसल बोई हुई है. पूर्व की फसल भी अपीलाण्ट ने ही काटी है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुऐ अपीलाण्ट को पाबन्द फरमाते हुऐ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम मौका स्थिति व कब्जा काश्त को देखा जाना आवश्यक था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण ग्राम डोकून के रहने वाले है, जिनका कभी भी समिधी में रहना नहीं हुआ, उक्त कृषि आराजी ग्राम समिधी पटवार मण्डल समिधी में स्थित है, वह रेस्पोडेन्ट की कृषि आराजी ग्राम डोकून में ही स्थित है और वह वही पर काबिज काश्त है. उक्त प्रार्थना–पत्र में जो वादग्रस्त आराजी अंकित की गयी है, वह अपीलाण्ट के पिता रामधन व उसके पिता

की खातेदारी की आराजी है, उक्त आराजी से रेस्पोडेन्टगण का कभी भी कोई सम्बंध नही रहा है। अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में रेस्पोडेन्टस अपीलाण्ट को जानबूझकर परेशान करने का प्रयास करेगे, रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना कानूनन विधि विरुद्ध है। वैसे भी काबिज काश्त व्यक्ति का कब्जा दौराने वाद प्रोटेक्ट किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीन मुख्य बिन्दु प्रथम दृष्टया जो कि पूर्ण रूप से रेस्पोडेन्टगण साबित नही कर पाए, क्योंकि वह न तो उक्त आराजी के खातेदार थे न ही उनका किसी रूप में कब्जा था. दूसरा मुख्य बिन्दु सुविधा का संतुलन भी अपीलाण्ट के पक्ष में पूर्णतया साबित था, चूंकि अपीलाण्ट खातेदार होने के साथ साथ काबिज है और अपूर्णीय क्षति का जो मुख्य बिन्दु है, यह भी रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जिस तरह से निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2022 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 04 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण सं0 01 व 02 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 व अपीलांट प्रत्यार्थी सं0 01 का हिस्सा 1/2 है। इसी रूप से कृषि भूमि पर सम्मिलित खातेदार कृषक के रूप में काबिज चले आ रहे है। अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 के दादा जी सोनारायण की पहले ही मृत्यु हो गयी थी। अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 के पिता रामधन ने गुप–चुप रूप से अवैध व अनाधिकृत रूप से सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर अपने आपको रामधन आत्मज सोनारायण के बजाय रामधन पुत्र गिरधारी बताकर व प्रार्थीगण के पिता के केसरा के सोनारायण के पुत्र व गिरधारी के पोत्र होने का तथ्य छुपाकर केवल रामधन वल्द गिरधारी के नाम से इन्तकाल खुलवा लिया है जो प्रविष्ठि अवैध व अनाधिकृत है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 के पिता रामधन गिरधारी के पुत्र नही होकर सोनारायण के पुत्र थे। अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 के मन में बदयान्ति आ गयी, अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 अवैध व अनाधिकृत रूप से अपने नाम के अवैध प्रविष्ठि होने का फायदा उठाकर बल पूर्वक प्रार्थीगण को सम्पर्ण भूमि से बेदखल कर स्वयं सम्पूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहता है, भूमि को नष्ट भ्रष्ट करने, कृषि भूमि का बैचान व रहन व अन्य प्रकार से अन्तरण करने की गंभीर धमकियां दे रहा है। यदि प्रश्नगत आराजी को अपीलांट बैचान या अन्य प्रकार से अन्तरण कर देता है तो रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सतुंलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपीलांट के पक्ष मे होना मानते हुए प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध में ताफैसला वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण अपीलांट को पाबंद करने का निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत

अपील खारिज किये जाने योग्य है। अंत मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 04.10.2022 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्वक मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी संवत् 2072–2075 ग्राम समिधि तहसील नैनवां की खाता सं0 49 में दर्ज कुल किता 13 कुल रकबा 64 बीघा 28 बिस्वा खातेदार किशन वल्द रामधन कौम धाकड सा. देह खातेदार रहन आई. सी. आई. सी. आई. बैंक शाखा देई मु. वि. क. ना. मा. 1794, 1811 दर्ज रिकार्ड है। फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध संवत् अपठनीय ग्राम समिधि तहसील नैनवां की है। फोटो प्रति जमाबेदी (खतौनी) संवत् 2055–2058 ग्राम डोकून तहसील नैनवां की खाता सं0 181 में दर्ज खसरा नं0 325, 327, 559, 560 किता 4 रकबा 37 बीघा 5 बिस्वा खातेदार रामधन केसरा पि0 शोनारायण हि0 1/2 व कस्तुरा, किशना पि0 कान्हा हि0 1/2 कौम धाकड सा0 देह खातेदार रहिन केसरा का हि0 1/4 कस्तुरा किशना पि0 कान्हा का हि0 1/2 बैंक ऑफ बडौदा बांसी दर्ज रिकार्ड है तथा नामांतरकरण के कॉलम में नामांतरकरण सं0 492 दिनांक 09.04.1999 से कस्तुरा के स्थान पर रामलाल सियाराम विकास पि0 कस्तुरा संजु पूत्री कस्तुरा मु. नटी बेवा कस्तुरा दर्ज स्वीकार है, अंकित है। पर्चा खतौनी मौजा समिधि तहसील नैनवां के खसरा नं0 136/2 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा किस्म रास्ता तथा खसरा नं0 139 रकबा 09 बिस्वा किस्म अ.चा. खातेदार रामधन्ना वल्द गिरधारी हि0 1/3 व रघूनाथ मोती पि0 ऊँकार हि0 1/3 हि. ब. रामनाथ वल्द वाला हि. 1/6 व कालू व नारायण हि. 1/6 हि. ब. सा. देह दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 ग्राम समिधि तहसील नैनवां की खाता सं0 59 में दर्ज किता 13 रकबा 10.5 हे0 खातेदार किशन पूत्र रामधन हि0 पूर्ण जाति धाकड सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा बैंक रहन का नोट अंकित है। खसरा गिरदावरी संवत् 2077 ग्राम समिधि तहसील नैनवां किता 13 रकबा 10.5 हे0 खातेदार किशन पूत्र रामधन हि0 पूर्ण जाति धाकड सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा फसल के नाम के कॉलम में फसल का नाम अंकित है। **प्रथम दृष्टया प्रकरण**– ग्राम डोकून तहसील नैनवां की जमाबंदी 2055–2058 से स्पष्ट है कि खतौनी सं0 181 की भूमि रामधन केसरा पि0 शोनारायण हि0 1/2 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न ख. नं. 61 की ग्राम समिधि तहसील नैनवां संवत् 1944 से 2000 में गिरधारी वल्द भैरू कौम धाकड़ सा0 देह दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत एक अन्य दस्तावेज पर्चा खतौनी मौजा समिधि में हाल खाता नं0 100 पर रामधन वल्द गिरधारी सहित अन्य खातेदार के नाम अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेजों की फोटो प्रति है। ग्राम समिधी के उपरोक्तानुसार सम्वत् 1942 व सम्वत् 1944 से 2000 के उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड–नकल खाता/पर्चा खतौनी एवं महकमा बन्दोबस्त बून्दी स्थित सभी दस्तावेजों मे खातेदार के कॉलम मे रामधन्ना वल्द गिरधारी अंकित है। परन्तु उक्त दस्तावेजों मे वर्णित भूमियों के संबंध मे पत्रावली मे संलग्न मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त सम्वत् 2028–2047 से पूर्व

बन्दोबस्त का मिलान क्षेत्रफल तथा तत्संबंधित तुलनात्मक राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त दस्तावेजों मे अंकित भूमियों का (खसरा नम्बर/रकबा) विवदित आराजी से तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो पा रहा है। उक्त दस्तावेजों की विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति तथा अन्य साक्ष्य, गवाहों के पश्चात् अंतिम निर्णय मूल वाद में होगा। परंतु यहाँ उक्त दस्तावेजों तथा प्रार्थी के कथनों एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रश्नगत भूमि पैतृक है अथवा नहीं यह साक्ष्य, गवाहों के पश्चात् मूल वाद में होगा परंतु ग्राम डोकून की जमाबंदी से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि रामधन व केसरा शोनारायण के पुत्र है। ग्राम समिधि की भूमि के बारे में रामधन के पास भूमि गिरधारी से किस प्रकार प्राप्त हुई? यह मूल वाद के निर्णय में स्पष्ट होगा। अतः प्रस्तुत कथनों एवं दस्तावेतजों से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में प्रतीत होता है। **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति**– चुंकि भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी अपीलांट के नाम दर्ज है। अतः यदि विवादित भूमि का रहन, विकय, अंतरण आदि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण रेस्पो0 को होगी तथा वाद बहुलता बढने से असुविधा एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण रेस्पो0 को होगी। इस प्रकार उपर्युक्त बिन्दु प्रार्थीगण रेस्पो0 के पक्ष में पाए जाने से विवादित भूमि का अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद के निर्णय होने तक संरक्षित किया जाना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.10.2022 मे हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 113/2017 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2022 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

9. निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा